न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 58/2021

उनवान

1 जगदीश पुत्र कज्जा जाति जाट नि0 चांदसेन, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र धूकल,
2. पानी पुत्री धूकल,
3. रामकंवरी पुत्री धूकल,
4. प्रेम पत्नी गंगाराम,
5. रामराज,
6. संपत,
7. रामेश्वरी,
8. प्रमेश्वरी,
9. मंदराज,
10. इन्द्रा पि0 गंगाराम,
11. काली,
12. चन्ता,
13. बाबूलाल, पि0 गोपाल,
14. मंगला पुत्र सुरजकरण,
15. रामदेव पुत्र गोपाल,
16. हंगामा पुत्र सुरजकरण,
17. पानी पुत्री धूकल,
18. रामकंवरी पुत्री धूकल,
19. रामराज पुत्र गंगाराम,
20. लक्ष्मण पुत्र धूकल,
21. संपत पुत्री गंगाराम जाति जाट नि0 चांदसेन, नसीराबाद,
22. मैनेजर एस0बी0आई0 तिहारी, नसीराबाद,
23. मैनेजर आई0सी0आई0सी0आई0 नसीराबाद,
24. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1, 13, 14, 16 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
24 जरियें राज0 पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 13[illegible] राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

–: आदेश :– दिनांक :– 18.2.25

प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चांदसेन के वंर्किग खसरा नम्बर 601 के हाल खसरा नम्बर 588 रकबा 0.16 व वंर्किग खसरा नम्बर 867 के हाल खसरा नम्बर 1033 रकबा 0.18 की आराजी वादी की पुश्तैनी खातेदारी की है। हाल नक्शे में उक्त खसरे की उपर वाली सीमा में त्रुटि के कारण प्रार्थी को करीबन 2 गटटे की भूमि हाल खसरा नम्बर 589 व हाल खासरा नम्बर 1033 का रकबा 1038 में विलय होने के कारण अप्रार्थीगण के पास नक्शे में त्रुटिवश अधिक रकबा आने के कारण उक्त भूमि का विधिवत नाप नही हो रहा है। साथ ही अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का नक्शा दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1, 13, 14 व 16 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 588 व 1033 की भूमि पूर्व राजस्व अभिलेख में वंर्किग नक्शा की स्थिति अनुसार है। पूर्व में भूमि का सीमाज्ञान किया गया था। तत्समय सीमा में कोई भी त्रुटि या गलत सीमा नही पायी गयी। हाल खसरा नम्बर 1033 का 1038 में विलय का कथन गलत है। अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष प्रतिवादीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम चांदसेन के वंर्किग खसरा नम्बर 601 के हाल खसरा नम्बर 588 रकबा 0.16 व वंर्किग खसरा नम्बर 867 के हाल खसरा नम्बर 1033 रकबा 0.18 की आराजी वादी की खातेदारी की हहै। हाल खसरा नम्बर 1038 अप्रार्थीग्रण की खातेदारी का है। प्रार्थीगण का कथन है कि आराजी मुतनाजा का हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण है। अप्रार्थीगण का कथन है कि हाल खसरा नम्बर का राजस्व मानचित्र वंर्किग नक्शा की स्थिति अनुसार है। पूर्व में भूमि का सीमाज्ञान किया गया था। तत्समय सीमा में कोई भी त्रुटि या गलत सीमा नही पायी गयी। किन्तु अप्रार्थीगण ने पूर्व में किये गये सीमाज्ञानन की कोई रिपोर्ट पेश नही की है। प्रार्थी द्वारा स्वयं की खातेदारी आराजी का नक्शा दुरूस्त करवाने का अनुतोष चााहा गया है। नक्शा दुरूस्त होने से भूमि के रकबे व खातेदारी अधिकार में कोई परिवर्तन नही होना है। राजस्व माननचित्र के अवलोकन से भी माननचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। प्रार्थीी की खातेदारी आराजी का राजस्व मानचित्र वंर्किग मानचित्र अनुसार दुरूस्त होने से अप्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। शेष अप्रार्थीगण व राज. पैरोकार ने प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नही किया है। प्रार्थी हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम चांदसेन के वंर्किग खसरा नम्बर 601 के हाल खसरा नम्बर 588 रकबा 0.16 व वंर्किग खसरा नम्बर 867 के हाल खसरा नम्बर 1033 रकबा 0.18 की आराजी पर प्रार्िथ का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी के वंर्किग व हाल राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:32:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद